प्रतिलिपि क्रमांक 2283-3 जी0 एस0 11-72/14359, ए दिनांक 9 मई, 1972 जो मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की ओर से सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल सभी उपायुक्त तथा राज्य के सभी उप मण्डल अधिकारी तथा रजिस्ट्रार पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा राज्य के सभी जिला एवं न्यायाधीश को प्रेषित है।

विषय :– सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह अनुदान तथा अन्य सुविधाएं देना।

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 9054-4जी0 एस0-70/32230 दिनांक 22–12–70 तथा बाद में पत्रों द्वारा जारी किए गए अनुदेशों की ओर दिलाते हुए यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि इस सकोप के अधीन राज्य सरकार के तदर्थ (adhoc) तौर पर लगे मृत कर्मचारियों के परिवारों तथा आश्रित को अनुदान आदि की सुविधा नहीं दी जानी है। इसलिये भविष्य में अनुग्रह पूर्वक अनुदान के मामले सरकार को प्रस्तुत करते समय सम्बन्धित मृत कर्मचारी के विषय में यह स्पष्ट किया जाया करे कि वह तदर्थ तौर पर कार्य नहीं कर रहा था।

2. इन अनुदेशों को कृपया सावधानी से अनुपालना के लिये नोट किया जाए।